न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः— 109/17 (RCMS No. 2017/00120) (75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. गेन्दी लाल पुत्र रामनारायण जाति अहीर निवासी ढाणी बंगला पो0 ईसरदा तहसील चौथ का बरवाडा सवाई माधोपुर
2. रधुनाथ पुत्र रामनारायण जाति अहीर निवासी ढाणी बंगला पो0 ईसरदा तहसील चौथ का बरवाडा सवाई माधोपुर
3. प्रहलाद सहाय पुत्र रामनारायण जाति अहीर निवासी बाल मन्दिर कॉलोनी बजरिया सवाई माधोपुर
4. रामदयाल पुत्र शिवबक्स जाति अहीर निवासी ढाणी बंगला पो0 ईसरदा तहसील चौथ का बरवाडा सवाई माधोपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

1. रतन लाल पुत्र जगन्नाथ जाति अहीर निवासी सुनारी तहसील व जिला सवाई माधोपुर
2. सरकार जरिये तहसीलदार सवाई माधोपुर

.....रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार सवाई माधोपुर निर्णय दिनांक 06.05.2015 एवं नामा0 सं0 716 दिनांक 13.05.2015

उपस्थितिः—

1. श्री हंसराज यादव वकील अपीलान्ट
2. श्री श्याम मोहन शर्मा वकील रैस्पो0

निर्णय **दिनांकः—08.01.2018**

यह अपील भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 06.05.15 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार सवाई माधोपुर के न्यायालय में रतन लाल पुत्र जगन्नाथ द्वारा प्रार्थना पत्र मय वसीयतनामा पेश कर वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अपीलान्ट ने लिखित आपत्ती पेश की। जिस पर पटवारी से रिपोर्ट ली तथा वसीयत के गवाहों के बयान लेकर मुताविक ग्राम पंचायत सुनारी के वारिस प्रमाण पत्र एवं गवाहान के बयान के आधार पर अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर भूरीदेवी की विरासत रतनलाल पुत्र जगन्नाथ अहीर के नाम नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश दिनांक 06.05.15 को पारित किये। इस

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आदेश की पालना में नामा0 सं0 716 भूरी के स्थान पर रतनलाल के नाम दिनांक 13.05.2015 को तस्दीक किया। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि भूरीदेवी वेवा हरनाथ यादव निवासी सुनारी की मृत्यु दिनांक 09.01.13 को हुई थी। रैस्पो0 रतन लाल ने अधीनस्थ न्यायालय में अनरजिस्टर्ड वसीयत पेश की थी जिसके आधार पर गलत रूप से नामा0 दर्ज करने के आदेश पारित किये है जो अधिकार क्षेत्र के बाहर है। उनका तर्क है कि किसी भी अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर किसी के नाम नामा0 दर्ज करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नही है। यदि किसी मृतक के उत्तराधिकारी होने के क्लेम दो भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा किया जावे तो कोई भी राजस्व अधिकारी किसी भी पक्ष को मृतक का उत्तराधिकारी मानने के बजाय दोनों पक्षों को सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र लाने का निर्देश देगा। जैसाकि 2002 आरआरडी 416 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। उनका तर्क है कि कथित वसीयत में गवाह के रूप में किसी परिवारीजन या समाज के या रिश्तेदारों के हस्ताक्षर नही है बल्कि गुर्जर समाज के दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर है जिनमें घनश्याम गुर्जर राजकीय सेवा में है तथा दूसरा कैलाश गुर्जर रतन लाल का वर्षों पुराना साझी है। तहसीलदार ने तत्कालीन पटवारी राधेश्याम जैन द्वारा बनायी गयी मौका रिपोर्ट को भी नजर अन्दाज कर पत्रावली पर नही लिया है। जबकि उक्त मौका रिपोर्ट पत्रावली पर मौजूद थी और दूसरी मौका रिपोर्ट जो वर्तमान पटवारी द्वारा बनायी गयी है उसमें मात्र तीनों गवाह हितवद्ध है जो कैलाश गर्जर व घनश्याम गुर्जर ही है तथा एक गवाह किशन लाल है जो रतन लाल की पुत्री का मामी ससुर है और दूसरे गॉव जुवाड में रहता है। इस प्रकार दूसरी मौका रिपोर्ट भी अपीलान्ट के सामने नही बनाई है। उस मौका रिपोर्ट में किसी निष्पक्ष गवाह के हस्ताक्षर नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने न तो असल वसीयतनामा पेश करवाया है और न ही किसी सक्षम न्यायालय से कोई उत्तराधिकार प्रमाण पत्र ही प्राप्त किया है। वकील अपीलान्ट ने 2002(1) आरआरटी 77 पेश कर कथन किया कि जब नामा0 के समय उत्तराधिकार के अधिकार के संबंध में विवाद उत्पन्न हो गया हो तो राजस्व अधिकारियों के लिये उचित नही था कि वे उत्तराधिकार के अधिकार को तय करें बल्कि मामला सिविल न्यायालय को भेज देना चाहिये। अन्त में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित नही है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं निर्णय के आधार पर दर्ज नामा0 निरस्त किये जावे।

विद्वान वकील रैस्पो0 का तर्क है कि रैस्पो0 के पक्ष में मृतक भूरी देवी ने वसीयत की है। रैस्पो0 विवादित आराजी पर मृतक भूरी के समय से ही काबिज काश्त रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत के गवाहान के वयान लेकर, वसीयत की जॉच कर ही निर्णय पारित किया है। यदि अपीलान्ट को कोई आपत्ती थी तो अपीलान्ट सिविल न्यायालय में वसीयत को निरस्त कराने की कार्यवाही करते या कोई मुकदमा दायर करते। परन्तु ऐसी कोई कार्यवाही रैस्पो0 के विरूद्ध नही हैं। राजस्व न्यायालय द्वारा वसीयत की जॉच कर, यदि वसीयत सही है तो वसीयत के आधार पर नामा0 दर्ज करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही है। नामान्तरकरण एक सरसरी कार्यवाही है जिसमें अधिकार तय नही होते हैं। अपीलान्ट को नामा0 की कार्यवाही में कोई अनुतोष नही दिया जा सकता है। वसीयत बिल्कुल सही है। इस वसीयत के संबंध में कोई मुकदमा भी दर्ज नही हुआ है। विवादित आराजी मृतक की स्वअर्जित आराजी है जिसकी वसीयत की जा सकती है। मृतक भूरी देवी ने सेवा सुश्रषा से प्रसन्न होकर रैस्पो0 के पक्ष में वसीयत की है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध वसीयतनामे के अवलोकन से जाहिर है कि मृतक श्रीमती भूरी देवी पत्नि हरनाथ ने रतन लाल पुत्र जगन्नाथ जो हरनाथ के भाई जगन्नाथ का लडका है, को दिनांक 01.01.2013 को वसीयत की है। उक्त वसीयत नोटेरी पब्लिक द्वारा तस्दीक करायी गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत के गवाहान के वयान लेकर, वसीयत की जॉच कर ही निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट को वसीयत के संबंध में कोई आपत्ती है तो उन्हें सिविल न्यायालय में वसीयत को निरस्त कराने की कार्यवाही करनी चाहिये थी। परन्तु अपीलान्ट ने ऐसी कोई कार्यवाही नही की है। जहॉ तक अन रजिस्टर्ड वसीयत का प्रश्न है। वसीयत सादे कागज पर है तथा अनरजिस्टर्ड है तो वह वैध मानी जायेगी जब तक कि सक्षम न्यायालय से उसे निरस्त नही कराया जाता। राजस्थान में वसीयत के लिये प्रोवेट की आवश्यकता नही है। वसीयत के लिये यह आवश्यक है कि वसीयत को कम से कम एक अटैस्टिंग विटनैस के बयानों से सिद्ध कराया जावे। गवाहों द्वारा यह सिद्ध कराया जावे कि वसीयतनामे पर वसीयत कर्ता ने एवं गवाहान ने उसके सामने हस्ताक्षर किये थे। तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा वसीयत के गवाहों के वयान लेकर वसीयत को सिद्ध कराया है। तहसीलदार ने वसीयत की जॉच कर ही वसीयत के आधार पर नामा0 दर्ज करने के आदेश जारी किये है। जहॉ तक नामा0 का प्रश्न है। नामा0 वसीयत के आधार पर पारित निर्णय के आधार पर दर्ज किया गया है। तहसीलदार के निर्णय की पालना में दर्ज नामान्तरकरण सही है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत् है। जिसमें किसी प्रकार की अवैधानिकता नही होने से निर्णय में हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.05.2015 एवं नामा0 सं0 716 निर्णय दिनांक 13.05.15 यथावत रखे जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official